JEEViKA
An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
बिहार सरकार
1st Floor, Vidyut Bhawan-II, Bailey Road, Patna - 800 021; Ph. : +91-612-250 4980; Fax : +91-612-250-4960; e-mail : info@brlp.in; Website : www.brlp.in

प्रेषक,

राहुल कुमार
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी -सह- राज्य मिशन निदेशक।
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका)

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना, नालंदा एवं मुजफ्फरपुर।

विषय: बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) संपोषित सामुदायिक संगठन एवं ग्राम पंचायत से समन्यवय हेतु पायलट परियोजना अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों के उन्मुखीकरण हेतु।

महाशय,

उपर्युक्त विषय अंतर्गत बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन एवं ग्राम-पंचायत से समन्यवय हेतु कुदुमश्री (केरल) के साथ अनुबंध (MoU) किया गया है। इस संवर्धन के पायलट योजना हेतु तीन जिला (पटना, मुजफ्फरपुर,एवं नालंदा) अंतर्गत छः प्रखंडो (धनरूआ, मसौढ़ी, मरवन, मुसहरी, सिलाव, एवं राजगीर) के दस संकुल स्तरीय संगठनों (पचास पंचायतों) को चयनित किया गया है ।

इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत एवं सामुदायिक संस्था (जीविका) के समन्वय से विभिन्न राष्ट्रीय एवं राजकीय योजनओं का लाभ जीविका द्वारा संचालित महिला स्वयं सहायता समूहों के परिवारों को मिलना है। इस पायलट परियोजना अंतर्गत सभी ग्राम पंचायत अध्यक्ष एवं अन्य ग्राम-पंचायत प्रतिनिधि के साथ-साथ सामुदायिक संस्था का क्षमता वर्धन कर ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना **(VPRP)** एवं ग्राम पंचायत विकास परियोजना **(GPDP)** का क्रियावयन करना है। इस पायलट योजना को सफल बनाने हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी का सहयोग एवं उनकी सक्रीय सहभागिता महत्वपूर्ण है।

जीविका द्वारा सम्बंधित सामुदायिक संस्था के अध्यक्ष, सभी सम्बंधित पंचायत मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव एवं प्रत्येक पंचायत से दो वार्ड सदस्यों का **'एक दिवसीय उन्मुखीकरण'** हेतु प्रखंड स्तरीय कार्यशाला (विषय -पंचायत मुखिया, सरपंच एवं पंचायत सचिव के कार्य एवं दायित्व, पंचायती राज अधिनियम, 2006 के मुख्य अवयव) किया जाना है। इस **'एक दिवसीय प्रखंड स्तरीय कार्यशाला'** (16-30 अगस्त, 2022) हेतु सभी संबधित पंचायत प्रतिनिधियों को कार्यशाला में शामिल होने के लिए निदेशित किया जाए। इस एक दिवसीय प्रखंड स्तरीय कार्यशाला को सफल बनाए हेतु सम्बंधित जिला पंचायती राज पदाधिकारी को संसाधन सेवी (रिसोर्स पर्सन) के रूप में सहयोग देने लिए निदेशित किया जाय।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

(राहुल कुमार)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-राज्य मिशन निदेशक